श्रीमान थानाध्यक्ष,
अररिया महिला थाना।

विषय:- न्यायिक कार्य में बाधा डालने एवं असंसदीय भाषा का प्रयोग करने के संबंध में।

महाशय,

सूचित करना है कि मैं राजीव रंजन सिन्हा वर्तमान में कार्यालय प्रि. उपस्थापक श्री मुस्तफा शाही न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय का हूँ। आज दिनांक 10.07.2020 को महिला थाना कांड संख्या 59/2020 के सूचिका सह पीड़िता [redacted] का बयान धारा 164 द.प्र.स. के अंतर्गत दर्ज करने हेतु पीठासीन पदाधिकारी श्री मुस्तफा शाही के समक्ष अभिलेख श्रीमान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी अररिया के आदेशानुसार प्राप्त हुआ। बयान दर्ज करने के क्रम में जन जागरण शक्ति संगठन के अध्यक्ष (i) कल्याणी बडोला पिता श्रीधर बडोला (ii) तन्मय निवेदिता उर्फ तनवी नायक पे० विजयन नायक दोनों सा० आश्रम मोहल्ला महादेव चौक, थाना- अररिया, जिला अररिया एवं पी[redacted] सा [redacted] थाना- अररिया, जिला अररिया द्वारा न्यायिक कार्य में बाधा डाली एवं असंसदीय भाषा का प्रयोग की एवं पीठासीन पदाधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उनके सम्मान को चोट पहुँचाया एवं न्यायालय कर्मी के साथ पीठासीन पदाधिकारी को धमकी दिया गया। पीड़िता ने अपने 164 द.प्र.स. के अंतर्गत बयान में अपना हस्ताक्षर करने से मना किया एवं कही कि कल्याणी दीदी एवं अन्य जबतक ध्यान नहीं पढ़ेंगी तबतक हस्ताक्षर नहीं करेंगी। जबकि नियमानुसार बयान दर्ज कर अपहृता को हिन्दी में पढ़कर सुनाया गया एवं समझाया गया अपहृता ने सुनाया गया बयान को सही कहा इसके बावजूद हस्ताक्षर करने से मना किया एवं पीठासीन पदाधिकारी के कक्ष में वाह फिजिकल गई एवं असंसदीय व्यवहार एवं गाली गलौज करने लगी अनुसंधानकर्ता के साथ जन जागरण शक्ति संगठन के अध्यक्ष कल्याणी बडोला ...

लगाकर व्युएकी दर्ज बयान की मांग करने लगी तथा पीठासीन पदाधिकारी को धमकाने लगी की मैं जन जागरण शक्ति संगठन का अध्यक्ष हूं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। साथ ही तन्मय निवेदिता एवं [redacted] ने पीठासीन पदाधिकारी को असमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए कहे साक्ष्य पुनः बयान दर्ज करने हेतु दबाव देने लगी। तथा दर्ज बयान को कल्याणी बड़ोला अपने कब्जे में ले लिया तथा दर्ज बयान की इस सभी के प्रताड़न को कु लाभ लेने की किसी तरह बयान को कल्याणी के हाथ से अपने कब्जे में लिया गया, जबकि पीठासीन पदाधिकारी द्वारा अनुसंधानकर्ता को आदेश दिया गया कि इन लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करें तब पीड़िता ने दर्ज बयान पर अपना हस्ताक्षर किया।

अतः आपसे अनुरोध है कि जन जागरण शक्ति संगठन के सदस्य कल्याणी बड़ोला, तन्मय निवेदिता एवं [redacted] के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें तथा यह भी पता करें कि इस संगठन के आड़ में जब न्यायालय को खुले आम धमकी दिया जा रहा है तो आम जनता एवं अन्य के खिलाफ क्या-क्या होता होगा, इनकी भी जांच पड़ताल करने की कृपा की जाए।

गवाह:-
(1) सुबोध कुमार
O/C B.C, S.D.J.M. Court.
(2) शिवम कुमार पांडे
(O/C, T.M.S, Araria)
(3) रितु कुमार
O/C T.M.S, Araria
(4) अमर कुमार सिंह, आदेशपाल
(5) शिवशंकर ठाकुर — आदेशपाल
(6) कविता कुमारी, D.O.
(7) भीमा हाउस गार्ड,
(8) [illegible]

प्रार्थी
राजीव रंजन सिंह
उपन्यायक
न्यायिक दंडाधिकारी
प्रथम श्रेणी, अररिया
दिनांक 10.07.2020.

Registered Mahila P.S. Case No 61/20 dt. 10.07.20 u/s 353/229/188/180/120(B)/34 I.P.C. & sec. 2(b)/2(c)/12 contempt of court act 1971 I.J. Manju Kumari is entrusted to investigate the case.
[illegible] 10.07.20 [illegible]